न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अपील संख्या :- 1002/2018

पीठासीन अधिकारी :- श्री बीरबल सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

1. रामचन्द्र पुत्र श्री महादेव (मृतक दौराने विचारण वाद)

1.1. श्री भूरी धर्मपत्नी श्री रामचन्द्र

1.2. कजोड पुत्र श्री रामचन्द्र

समस्त जाति जाट, निवासी सिरसी तहसील व जिला जयपुर।

1.3. श्रीमती बरजी पुत्री श्री रामचन्द्र धर्मपत्नी श्री चन्दा जाति जाट निवासी हसमपूरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1.4. श्रीमती प्रभु देवी पुत्री श्री रामचन्द्र धर्मपत्नी श्री श्रवण जाति जाट निवासी हसमपूरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. ग्यारसा पुत्र श्री महादेव (मृतक दौराने विचारण वाद)

2.1. म. भल्ली बेवा ग्यारसा

2.2. गोविन्दराम पुत्र ग्यारसा

2.3. मांगीलाल पुत्र ग्यारसा

समस्त जाति जाट, निवासी सिरसी तहसील व जिला जयपुर।

2.4. श्रीमती गोपाली पुत्री ग्यारसा धर्मपत्नी सुआ जाति जाट निवासी नोतमपूरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2.5. श्रीमती धन्नी पुत्री ग्यारसा धर्मपत्नी पोखर जाति जाट निवासी नोतमपूरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2.6. श्रीमती कमला पुत्री ग्यारसा धर्मपत्नी लाला।

2.7. श्रीमती नारंगी पुत्री ग्यारसा।

2.8. श्रीमती मुन्नी पुत्री ग्यारसा धर्मपत्नी रामशरण।

समस्त जाति जाट, निवासीयान बोबास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार जी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये श्रीमान सचिव महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक:- 08/10/2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/7/2018 के विरुध हुई है।

संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बारानी अव्वल वाकै मौजा सिरसी अन्तर्गत तहसील जयपुर स्थित आराजीयात का कदीम से कब्जे काश्त में है तथा उसका लगान भी वादीगण ही सरकार को अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पूर्व में मकबुजा ठिकाना श्रीनारायण व देवीनारायण पुरोहित की जागीर की थी, जिस पर वादीगण के बुजुर्ग जागीर के जमाने से ही कब्जे काश्त में थे तथा जागीर के समय आराजीयात का लगान जागीरदार को अदा करते थे तथा जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे है। वाद में आगे अंकित किया गया कि वादीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे तथा वर्तमान में भी वादीगण ही कब्जे काश्त में है तथा गेहू, जो, चना आदि की काश्त आराजी मुतनाजा पर खड़ी है। वाद में यह भी अंकित किया गया कि प्रशनगत आराजी को वादीगण ने काफी रुपया व्यय करके कृषि योग्य बनाया है जिसमे जगह जगह टीले थे तथा ऊबड़ खाबड़ थी जिसे वादीगण ने 20-25 हजार रूपये लगाकर समतल कर कृषि योग्य बनाया है। आराजीयात के चारो और कच्ची डोली भी करीबन 20 वर्ष पूर्व लगायी थी, जिसमे भी वादीगण का हजार रुपया खर्च हुआ है। सन्दर्भित आराजी में 10-15 वर्ष पूर्व गैर मुमकिन चाह का निर्माण भी किया है जिसमे बिजली व मोटर भी वादीगण ने लगा रखी है। इस पर भी वादीगण ने 25 हजार रुपया खर्च किया है। प्रशनगत आराजी पर जागीर के जमाने से वादीगण के पिता काबिज काश्त रहे एवं जागीर पुर्नग्रहण होने के पश्चात तथा राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी

काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज काश्त होने के कारण वादीगण स्वत: ही आराजीयात के खातेदार टिनेन्ट हो जाते है किन्तु दौराने भू प्रबन्ध सर्वेक्षण सम्वत 2015 का पर्चा खातेदारी सहवन से वादीगण के नाम जारी नही किया गया और आराजीयात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर ली गयी जबकी सन्दर्भित आराजी कदीम से वादीगण के कब्जे काश्त की रही है | वाद में आगे अंकित किया गया की वादीगण के नाबालिक अवस्था में होने तथा अशिक्षित होने के कारण वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह आराजीयात की खातेदारी अपने नाम नही करा सके जबकी कब्जा बदस्तुर वादीगण का ही रहा है | दौराने भू प्रबन्ध सर्वेक्षण आराजीयात को सहवन से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करा देने के कारण प्रतिवादी, वादीगण को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल करने पर उतारू है | इस सम्बन्ध में प्रतिवादी तहसीलदार जयपुर द्वारा वादीगण के विरुद्ध धारा 90 ए व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 02/02/1977 को कार्यवाही की गयी | जिसका वादीगण को ईल्म होने पर उक्त आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा दिनांक 15/12/1980 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार को पुन: सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड कर दी गयी | तत्तपश्चात तहसीलदार जयपुर द्वारा पुन: सुनवाई करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सुचना नही दी गयी, न ही किसी प्रकार को कोई नोटिस दिया गया | तहसीलदार जयपुर द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी के सन्दर्भ में वसूली बाबत एक नोटिस दिनांक 26/09/1983 को दिया गया, जिस पर वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने हेतु एक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी का जिलाधीश एवं तहसीलदार जयपुर को दिनांक 05/10/1983 को दिया गया उन्हें प्राप्त हो चूका है | वाद में आगे अंकित किया गया कि प्रतिवादी, वादीगण को उनके कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर तथा खड़ी फसल जो गेहू वगैरह की काश्त को कुर्क करने पर आमदा है | दिनांक 12/12/1983 को तहसीलदार द्वारा वादीगण को एक नोटिस दिया व हल्का पटवारी ने कहा की या तो तुम स्टे लेकर दे दो नही तो हम एक दो दिन में ही तुम्हे जमीन से बेदखल करेंगे तथा जमीन पर खड़ी काश्त को कुर्क करेंगे | इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ईस्तदुआ की गई |

(क) वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री इस अमर की फरमाई जावे की आराजी ख.न. 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बारानी अवल वाक़े मौजा सिरसी तहसील जयपुर में स्थित आराजीयात का वादीगण को कब्जे काश्त, खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे|

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखल अन्दाजी स्वयं करे ना ही किसी अपने मतहब अन्य कर्मचारी से ही करावे | तथा नही पेलेंनटी कायम करे | तथा न ही पेलेंनटी वसूली की कायवाही ही करे | न ही वादी की फसल को कुर्क करे|

वाद प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये किन्तु वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब वाद प्रस्तुत नही हुआ | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय में वाद में निम्न तनकीयात कायम की गयी :-

1 आया की आराजीयात खसरा नम्बर 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बारानी अव्वल बाके मौजा सिरसी अन्तर्गत तहसील व जिला जयपुर में स्थित है जो की पूर्व में मकबुजा ठिकाना श्री नारायण व देवीनारायण जी पुरोहित की जागीरी की थी | जिस पर वादीगण के बुजुर्ग जागीरी के जमाने से ही कब्जे काश्त में चले आ रहे है तथा जागीरी के जमाने में लगान जागीरदार को अदा करते थे एवं जागीरी पूर्णग्रहण के पश्चात लगान राशी सरकार को अदा करते आ रहे है|

.....जुम्मे वादीगण

2 आया वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर वादीगण के बुजुर्ग व वादीगण जागीरी के जमाने से ही आराजीयात पर खातेदार टीनेन्ट की हेसियत से कब्जे काश्त में है यानी सम्वत 2010 से पूर्व से ही तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही कब्जे काश्त में चले आने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी

अन्तर्गत प्रतिवादी नियमो व उपनियमो के अनुसार वादीगण स्वत: ही आराजी मूतनाजा के खातेदार टीनेन्ट हो गये है।

.....जुम्मे वादीगण

3 आया की आराजीयात नम्बर 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा राजकीय भूमि नही है बल्कि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है तथा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु काम में आ रही है। सेटलमेन्ट सर्वेक्षण के दौरान आराजीयात को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड में सहवन से अंकित कर दी गयी। सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल करने का कोई भी कानूनन हक़ व अधिकार हासिल नही था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादपत्र में वर्णित आराजीयात को जो सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुये जो रद्दोबदल किया गया है जो वादीगण दुरुस्त कराने एवं वादीगण आराजीयात को अपने नाम कराने के क़ानूनी अधिकारी है।

.....जुम्मे वादीगण

4 आया की वादीगण व वादीगण के बुजुर्गो ने आराजीयात को कृषि योग्य बनाने हेतु आराजीयात को समतल किया है जिसमे 20-25 हजार रूपये व्यय किये है तथा चाही बनाने हेतु आराजीयात में गैर मुमकिन चाह का निर्माण कराया है तथा उसमे बिजली व मोटर आदि लगवाई है जिसमे लाखो रूपये व्यय हुये है।

.....जुम्मे वादीगण

5 आया की वादीगण द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय व श्रीमान तहसीलदार जी जयपुर को जैर दफा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिनांक 05/10/1983 को देने के पश्चात भी प्रतिवादी द्वारा उक्त नोटिस का कोई भी जवाब आज तक नही दिया गया है और ना ही राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करते हुये वादीगण का नाम अमल दरामद किया गया है। इस कारण वादीगण द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात की दुरुस्ती कराने हेतु वादीगण को खातेदारी चाहने बावत घोषणा का वाद माननीय अदालत हाजा के समक्ष पेश करना लाजिमी आया।

.....जुम्मे वादीगण

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

6 आया की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वाद में वर्णित भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि (सिवायचक) दर्ज किये जाने के कारण प्रतिवादीगण के द्वारा बार-बार वादीगण का आराजीयात से बेदखली की कार्यवाही करने व नोटिस दिये जाने के कारण प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य न करने हेतु वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के क़ानूनी अधिकारी है |

.....जुम्मे वादीगण

7 आया की वादीगण अथवा इनके बुजुर्गो का विवादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी न तो कब्जा ही रहा और ना ही वर्तमान में कब्जा ही है | इसलिये वादीगण का दावा प्रथमद्रष्टा ही मय खर्चा ख़ारिज फरमाये जाने योग्य है |

.....जुम्मे प्रतिवादी संख्या 2

8 आया की वादीगण को स्वयं तहसीलदार ने न तो नोटिस ही दिया और ना ही वादीगण ने उक्त दावा प्रस्तुत करने से पूर्व जैर दफा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस ही दिया | ऐसी स्थिति में दावा प्रथमद्रष्टा ही मय हर्जा ख़ारिज फरमाये जाने योग्य है |

.....जुम्मे प्रतिवादी संख्या 2

9 आया की दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत नही किया गया है इस कारण दावा मय खर्चा ख़ारिज किये जाने योग्य है |

.....जुम्मे प्रतिवादी संख्या 2

10 आया की वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ | दावा गलत पेश किया गया है जो की काबिले चलने योग्य नही |

.....जुम्मे प्रतिवादी संख्या 2

11 आया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के मद नम्बर 19 के अन्तर्गत दर्ज खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत चाही गयी अनुतोष को वादीगण प्राप्त करने के क़ानूनी अधिकारी नही है | इस कारण भी वादीगण का वाद काबिले चलने योग्य नही बल्कि ख़ारिज किये जाने योग्य है |

.....जुम्मे प्रतिवादी संख्या 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

12 दादरसी क्या होगी ?

वाद में वादीगण द्वारा कायम सबूत प्रस्तुत किये गये, जिसमे मुख्य रूप से वादीगण की और से नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2009, 2010 से 2011, 2012 से 2015, बिजली के बिल की प्रतियाँ सन 1982 से निरन्तर प्रमाणित खतौनी बन्दौबस्त सम्वत 2015 से 2034, जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063, लगान की रसीद संख्या 0006, बिजली के बिल की प्रतियाँ सन 2007 से 2010 प्रस्तुत की गयी | इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के बतौर सूची गवाहान प्रस्तुत कर बयान गवाहान कराये गये , तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 18/07/2018 को तनकीवार संक्षिप्त निर्णय पारित करते हुये कि वादीगण द्वारा वाद पत्र को सिद्ध करने की उपयुक्ति तर्क नही देने व सुनी गयी बहस पर मनन व पेश न्यायिक सिद्धांतो के आधारित वादग्रस्त आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है ऐसमें वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से ख़ारिज किया जाता है |

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी | अभिभाषक अपीलार्थी ने पूर्व में लिखित बहस भी प्रस्तुत की थी एवं मौखिक बहस भी सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त धारा में यह स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के वक्त जो भी काश्तकार किसी जमीन पर बतौर काश्तकार काबिज है तो उसमे स्वत: ही खातेदारी अधिकार सन्दर्भित भूमि हेतु निहित हो जायेंगे | वाद में सन्दर्भित आराजी पर वर्तमान में वादीगण एवं सम्वत 2008 से अपने जीवनकाल तक उनके पिता महादेव जाट बतौर काश्तकार जागीर के जमाने से आराजी ख.न. 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर पर काबिज काश्त चले आ रहे थे, उनकी मृत्यु के पश्चात निरन्तर वादीगण सन्दर्भित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2008-2009 EXP-7, खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से

राजस्व अपील प्राधिकारी

2015 की और आकर्षित कराया एवं अपने कथन की पुष्टी में RRD 2006 पृष्ठ संख्या 23, RRT पार्ट-2 पृष्ठ संख्या 1368 उद्धरित की | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया की सम्वत 2015 में हुये सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेन्ट के कार्मिको द्वारा सन्दर्भित आराजी को बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जिसका की ऐसा करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही था | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा RRT पार्ट 2- 2009 पृष्ठ संख्या 954, RRT पार्ट 1-2004 पृष्ठ संख्या 96 व RRT पार्ट 1- 2001 पृष्ठ संख्या 244 (c), 2002 RRD पृष्ठ संख्या 286, 1997 RBJ-167, 1998 RRD-261, 2001RRD पृष्ठ संख्या 60, 2003 RRD पृष्ठ संख्या 175, 1969(4) RJSC पृष्ठ संख्या 10, उद्धरित करते हुये बहस में निवेदन किया की दौरान सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध विभाग को मात्र राजस्व रिकार्ड की पुरानी प्रविष्ठियो को ही दोहराना होता है किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से वादी/अपीलांट के खाते की आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने में क़ानूनी त्रुटी की है | एवं चूँकि अब जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है | अत: जयपुर रीजन की समस्त सिवायचक आराजीयात को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063, की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की यह गलत प्रविष्ठी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम बार नियोजित सम्वत 2015 में सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में की गयी गलत प्रविष्ठियो के आधार पर हुई है जो वादी/अपीलांट के अधिकारों के विपरीत प्रभावशून्य है | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसील से उनको दिये गये धारा 91 के नोटिसेज की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की उक्त नोटिसेज से यह तथ्य स्पष्ट है की प्रशनगत आराजी पर आज भी वादी/अपीलांट्स काबिज काश्त है | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रसीद लगान वर्ष 1990-91 व रसीद संख्या 1006 EXP-20 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की वादीगण/अपीलांट्स प्रशनगत आराजी के सन्दर्भ में निरन्तर राजस्व लगान जमा कराते रहे है | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न विद्युत वितरण निगम से प्राप्त बिजली के बिलों की रसीदों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की वादी/अपीलांट्स ने अपने खाते की उक्त आराजी ख.न.1573 हेतु विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। जिसका भुगतान निरन्तर विद्युत विभाग को करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट्स द्वारा मौखिक साक्ष्य के बतौर गोविन्दराम पुत्र ग्यारसा जाट निवासी सिरसी उम्र 45 वर्ष, कजोड पुत्र स्व. रामचन्द्र जाट उम्र 53 वर्ष निवासी सिरसी, जगदीश पुत्र श्री गिदा उम्र 77 वर्ष निवासी नाहिया सिरसी, हनुमान सहाय पुत्र लादू उम्र 65 वर्ष जाति जांगिड निवासी नाहिया सिरसी, बाबूलाल पुत्र केसर उम्र 50 वर्ष निवासी सिरसी के बयान कलमबन्द कराये गये, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में प्रश्नगत आराजीयात पर वादी/अपीलांट्स के काबिज होना एवं इससे पूर्व उनके पिता के काबिज होने का तथ्य दर्ज कराया। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से अनेको अवसर दिये जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत की अनदेखी करते हुये निर्णय जैर अपील पारित करते हुये वादी का वाद खारिज करने में गलती की है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य सबूत से वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होता है।अत: निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाई जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी को प्रशनगत आराजी ख.न. 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिसबा स्थित ग्राम सिरसी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती रिकार्ड के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पो. संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान में प्रशनगत आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है जिस पर अपीलांट्स को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। अत: अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रशनगत आराजी सम्वत 2015 से 2059 तक सिवायचक आराजी दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी एवं जयपुर रीजन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के

अस्तित्व में आ जाने से जयपुर रीजन में दर्ज रिकार्ड समस्त सिवायचक आराजीयात जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है जो विधिवत दर्ज हुई है जिसमे कोई त्रुटी नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद सही तौर पर ख़ारिज किया गया है | अपील भी ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट्स द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, इसका तात्पर्य मुख्य रूप से यह था कि वादी/अपीलांट्स के पिता महादेव जागीर के समय से आराजी खसरा नम्बर 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम सिरसी पर काबिज काश्त रहे है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात उसकी धारा 15 के अनुसार जिसमे की अंकित किया गया है कि "Every person who, at the commencement of this act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of khudkasht or who is, after the commencement of this act, admitted as a tenant otherwise than as a sub-tenant or a tenant of khudkasht (or an allottee of land under and in accordance with rules made under section 101 of Rajasthan land revenue act 1956 (Rajasthan act 15 of 1956) or who acquires khatedari rights in accordance with the provisions of this act or of the Rajasthan land reforms and resumption of jagir act 1952 (Rajasthan act 6 of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a khatedar tenant and shall subject to the provision of this act be entitled to all the rights conferred and be subject to all the libilities imposed on khatedar tenants by this act" के अनुसार स्वत: ही आराजी खसरा नम्बर 1573 हेतु खातेदार काश्तकार हो जाते है | इस सन्दर्भ में दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा RRD 2006 पृष्ठ 23 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था दी है की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अस्तित्व में आने के समय काबिज टीनेन्ट, सब टीनेन्ट या मौरूसी टीनेन्ट स्वत: ही खातेदारी अधिकारों के हक़दार हो जाते है | इसी प्रकार अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित RRT पार्ट 2-2014 पृष्ठ संख्या 1368 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतीपादित किया गया है की "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार इस अधिनियम के आने के दिनांक को जो व्यक्ति सन्दर्भित आराजी पर काबिज है वह उसका खातेदार

हो जाता है|" इसके अतिरिक्त प्रशनगत आराजी पर वादी/अपीलाट्स के पूर्वज व स्वयं के निरन्तर काबिज काश्त होने के सन्दर्भ में तहसील से उन्हें दिये गये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस, वाद के साथ प्रस्तुत रसीद लगानात व इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 214 पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का नम्बर-11 जिसमे की अंकित किया गया है कि "प्रमाणित किया जाता है कि श्री महादेव पुत्र दयाल व सुखदेव पुत्र दुल्ला जाति जाट निवासी सिरसी कोठी पर कनेक्शन लेना चाहता है | यह खेत ख.न. 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में वाके है जो ग्राम सिरसी की रेवेन्यु सीमा में आता है |" उक्त रिपोर्ट उक्त पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार तहसील जयपुर को दिनांक 16/09/1972 को प्रेषित की गयी | जिस पर नायब तहसीलदार जयपुर ने अंकित किया कि " प्रमाणित किया जाता है कि पटवारी हल्का नम्बर-11 ईश्वर सिंह की उपरोक्त रिपोर्ट सही है ; जिससे सिद्द होता है कि उक्त आराजी ख.न. 1573 के काबिज काश्तकार श्री महादेव वगैरह ने उक्त आराजी में स्थित कोठी में विधुत कनेक्शन लेने हेतु तहसील से स्वीकृति चाही, एवम् जो दी गयी | जिसके आधार पर राजस्थान विधुत मण्डल जयपुर के पत्र संख्या 14372 दिनांक 20/12/1972 के द्वारा 615 रूपये राशि जमा कर 7.5 एच पी कनेक्शन कृषि हेतु पम्प सेट लगाने हेतु स्वीकृति किया गया एवं विधुत कनेक्शन लगने के पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निरन्तर विधुत बिलों का भुगतान किया जाना उनके द्वारा प्रस्तुत विधुत बिलों से सिद्द है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है एवं इसके अतिरिक्त वादी/अपीलाट्स द्वारा कराये गये विभिन्न मौखिक बयानों से भी प्रशनगत आराजी पर उनके पूर्वज व उनके पश्चात उनका स्वयं का सम्वत 2008 से निरन्तर काबिज काश्त होना स्पष्ट सिद्द है किन्तु सम्वत 2015 में प्रशनगत आराजी को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के सन्दर्भ में जो दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा विभिन्न माननीय न्यायालयों को नजीरो में मुख्य रूप से RRT 2001 (1) पृष्ठ संख्या 244 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है की "Settlement – settlement operation –settlement department has no competence to change the kind of lend, right of tenure –holders and entries in revenue record –he has also power of confer khatedari right on any person-power are limited to normal settlement operation" - इसी प्रकार 2004 (1) RRT

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पृष्ठ संख्या 96 में माननीय राजस्व मण्डल ने भी प्रतिपादित किया है की "Settlement department had no jurisdiction to change the entries without order of the court". इसी प्रकार RRT पार्ट 2-2009 पृष्ठ संख्या 954 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है की "Settlement authorities have no power to change the original entries" उपरोक्त विस्तुत विवेचन से दौ तथ्य स्पष्ट हो जाते है|

प्रथम:- "यह की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही यानि सम्वत 2008-2009 से निरन्तर प्रशनगत आराजी ख.न. 1573 के रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर पूर्व में वादी/अपीलांट्स के पिता व उसके पश्चात उनके स्वयं के काबिज काश्त होने से बाई ओपरेशन ऑफ़ ला सन्दर्भित आराजी के सन्दर्भ में खातेदारी अधिकार उनमे निहित हो गये"|

हितीय:- "मिसल हकियत सम्वत 2015 में जो भू प्रबन्ध सर्वेक्षण के दौरान प्रशनगत आराजी की किस्म परिवर्तित कर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया", जबकि वादी/अपीलान्ट्स की खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी|

उक्तानुसार भू-प्रबन्ध सर्वेक्षण के दौरान भू- प्रबन्ध विभाग द्वारा जो प्रशनगत भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया, वह अधिकार विहीन कृत्य था क्युकी उनके द्वारा पूर्व प्रविष्टियो को ही दोहराया जाना था | इसके पश्चात जो प्रशनगत आराजी के सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठी की गयी | वह सम्वत 2015 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी त्रुटीवश प्रविष्ठी का परिणाम है जो स्वत: ही निरस्तनीय है|

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तथ्यों एवं राजस्व रिकार्डो के विपरित निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/07/2018 निरस्त किये जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं वादी/अपीलाट्स को प्रशनगत आराजी खसरा नम्बर 1573 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के बाई ओपरेशन ऑफ़ ला खातेदार हो जाने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है | तदनुसार दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड हो | विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है की वे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रश्नगत आराजी पर वादी/अपीलाट्स के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर